

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 68/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स होटल साहिबा दरगाह क्षेत्र, अजमेर

(श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री नथ्यूमल) निवासी सोनी मौहल्ला दरगाह क्षेत्र, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 05.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2023 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स होटल साहिबा अजमेर पर पहुंचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री कालू खों पुत्र श्री बिटठू खों कार्मिक मैसर्स गुलाब गैस एजेन्सी वैशाली नगर, स्त्रीफन चौराहा, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

| S.NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS | TYPE     |
|-------|---------|-----|------|------|---------|----------|
| 1     | 33316   | IOC | 17.7 | 27   | 9.3     | Domestic |
| 2     | 305490  | IOC | 15.5 | 25   | 9.5     | Domestic |

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दोनों घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर  
अजमेर

प्रार्थना पत्र वर्त रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने नोटिस तामिल बावजूत गैर हाजिर । पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दीहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नहीं किये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर  
अजमेर